दुष्यंत एन. दलाल और अन्य

बनाम

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

(2017 की सिविल अपील संख्या 5677)

04 अक्टूबर, 2017

[आर. एफ. नरीमन और संजय किशन कौल, जे. जे.]

ब्याजः

क्या ब्याज की वसूली एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत जारी किए गए जुर्माने के आदेशों और/या गैरकानूनी लाभ को समाप्त करने के आदेशों पर की जा सकती है जब उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है-आयोजितः ब्याज अधिनियम प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरणों को उस तारीख से इक्विटी में ब्याज देने में सक्षम बनाता है, जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था, इस तरह के ब्याज की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू होने की तारीख तक-वर्तमान मामले में, ब्याज इक्विटी में देय था, क्योंकि सेबी द्वारा एकत्र किए गए सभी जुर्माने सेबी अधिनियम की धारा 15JA के तहत समेकित निधि में जमा किए जाने थे, यानी सार्वजनिक उद्देश्य-ऐसा ब्याज सेबी अधिनियम की धारा 28A के तहत आयकर अधिनियम की धारा 220 (2) के साथ केवल संभावित रूप से प्रभार्य होगा-ब्याज अधिनियम, 1978-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992-धारा 28A और 15JA-आय कर अधिनियम, 1961-धारा 220-इक्विटी।

ब्याज-का शुल्क-क्या इसका पूर्वव्यापी संचालन हो सकता है-धारितः ब्याज मूल कानून के क्षेत्र से संबंधित है न कि प्रोसेक्लुरल कानून-इसलिए, इसका पूर्वव्यापी संचालन नहीं हो सकता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992

धारा 28ए-प्रकृति और क्या इसका पूर्वव्यापी संचालन हो सकता है-आयोजितः धारा 28ए प्रक्रियात्मक कानून के दायरे से संबंधित है और मूल रूप से पूर्वव्यापी होगी-लेकिन जब यह प्रावधान ब्याज लगाने का प्रयास करता है, जो मूल कानून के दायरे से संबंधित है, तो ऐसा ब्याज केवल संभावित रूप से प्रभार्य होगा।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. 1978 का ब्याज अधिनियम प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरणों को उस तारीख से ब्याज देने में सक्षम बनाएगा जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था और इक्विटी में ऐसे ब्याज की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू होने की तारीख तक। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां ब्याज इस कारण से इक्विटी में देय होगा कि एस. ई. बी. आई. द्वारा एकत्र किए गए सभी जुर्माने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15 जे. ए. के तहत समेकित निधि में जमा किए जाएंगे। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इस तरह के धन का उपयोग करने से बड़ी कोई इक्विटी नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 28ए प्रक्रियात्मक कानून के दायरे से संबंधित है और सामान्य रूप से पूर्वव्यापी होगी, जब यह ब्याज लगाने का प्रयास करता है, जो मूल कानून के दायरे से संबंधित है, तो न्यायाधिकरण यह कहने में सही है कि ऐसा ब्याज केवल संभावित रूप से आयकर अधिनियम की धारा 220 (2) के साथ पठित एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 28ए के तहत प्रभार्य होगा। हालाँकि, चूंकि इसने ब्याज अधिनियम, 1978 को बिल्कुल

भी ध्यान में नहीं रखा है, इसलिए न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया गया है कि उस तारीख से कोई ब्याज नहीं लिया जा सकता है जिस दिन जुर्माना देय हुआ था। [पैरा 28] {466-F-H; 467-A] ।

2. यदि निर्धारित समय के भीतर 6 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक होती है, तो भविष्य में कोई ब्याज देय नहीं होगा, बल्कि 7 साल के लिए बाजार से वंचित होने का बहुत गंभीर जुर्माना लगाया जाएगा। एसएटी का यह कहना गलत था कि दिनांक 21.7.2009 के आदेश में भुगतान तक 4.05 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने की बाध्यता थी। [पैरा 32)(469-डी-ई)।

क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2004) 8 एस. सी. सी. 524: (2004) 3 पूरक। एस. सी. आर. 843; तहज़ाते पुरयिल सराबी और अन्य। बनाम भारत संघ और आम आदमी पार्टीः (2009) 7 एस. सी. सी. 372: (2009) 10 एस. सी. आर. 70; फेरो मिश्र धातु निगम। लिमिटेड बनाम एपी। राज्य विद्युत बोर्ड और एएनआर। (1993) पूरक। 4 एस. सी. सी. 136: (1993) 3. एस. सी. आर. 199; साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड. और या. ~। (2003) 8 एस. सी. सी. 648: (2003) 4 पूरक। एस. सी. आर. 651; इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (2011) 8 एस. सी. सी. 161: (2011) 9 एस. सी. आर. 146; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम टाटा केमिकल्स लिमिटेड (2014) 6 एस. सी. सी. 335: (2014) 3 एस. सी. आर. 298; भारतीय जीवन बीमा निगम और एक अन्य बनाम श्रीमती. एस. सिंधु (2006) 5 एस. सी. सी. 258: (2006) 1 पूरक। एस. सी. आर. 854-पर निर्भर।

प्रभावती रामगरीह बी. बनाम मंडल रेल प्रबंधक (2010) 4 माह एलजे 691-अनुमोदित।

रघुनाथ राय बरेजा और आमः बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य (2007) 2 एस. सी. सी. 230: [2006) 10 पूरक एस. सी. आर. 287; जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (1994) 4 एस. सी. सी. 276; इंडिया कार्बन लिमिटेड बनाम असम राज्य (1997) 6 एस. सी. सी. 479: [1997) 3 पूरक एस. सी. आर. 1; पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड और एएमः (2012) 7 धारा 462: [2012) 6 एससीआर 905; एनटीपीसी लिमिटेड बनाम एमपी एस. ई. बी. (2011) 15 एस. सी. सी. 580: [2011) 11 एस. सी. आर. 651; बंगाल नागुर रेलवे कंपनी लिमिटेड बनाम रुट्टनजी रामजी और अन्य ए. आई. आर. 1938 पी. सी. 67; सतिंदर सिंह बनाम अमराव सिंह [1961) 3 एस. सी. आर. 676; हीराचंद कोठारी बनाम राजस्थान राज्य (1985) सप्लीमेंट एस. सी. सी. 17: [1985) पूरक एस. सी. आर. 644-संदर्भित।

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 5677/2017

2014 की अपील संख्या 41 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के दिनांकित 10.03.2017 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी ए संख्या 10410-10412/2017

सुब्रमण्यम प्रसाद, अरविंद पी. दातार, सीनियर एड बनाम अभय कुमार, रविचंद्र एस. हेगड़े, उत्कर्ष श्रीवास्तव, सौरभ मिश्रा, हिमांशु पाल, हिमांशु, अनीप सचथे, सुश्री अंजलि चौहान, सुश्री रिया सचथे, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय आर. एफ. नरीमन, जे. द्वारा दिया गया।

1. वर्तमान अपीलें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (एस. ई. बी. आई. अधिनियम) की धारा 28ए के तहत एक दिलचस्प सवाल उठाती हैं,

कि क्या अधिनियम के तहत जारी दंड के आदेशों और/या गैरकानूनी लाभ को समाप्त करने के आदेशों पर ब्याज की वसूली की जा सकती है, जब उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जुर्माने के मामलों में, यह SEBI है जो हमारे सामने अपीलार्थी के रूप में है, जबकि असहमति के मामले में, यह निजी व्यक्ति हैं जो हमारे सामने हैं।

2. सबसे पहले, 2017 के सीए 5677 के तथ्य, असहमति का मामला। श्री दुष्यंत एन. दलाल और श्रीमती पुलोमा डी. दलाल नामक नोटिसों ने खुदरा व्यक्तिगत निवेशक श्रेणी (आर. आई. जे.) में शेयरों की मांग में हेरफेर किया और इस तरह बाजार की अखंडता को विकृत किया। ऐसा करके, उन्होंने अन्य आर. आई. आई. को विभिन्न कंपनियों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (जे. पी. ओ.) में अपने वैध शेयरों के आवंटन से इनकार कर दिया और अन्य आर. आई. आई. के नुकसान के लिए 579/- रुपये का गैरकानूनी लाभ कमाया। इसलिए, निष्कर्ष यह था कि उन्होंने उपरोक्त आई. पी. ओ. में आर. आई. आई. के लिए शेयर जुटाने के लिए धोखाधड़ी, भ्रामक और हेरफेर करने वाली प्रथाओं का उपयोग किया था और इसलिए उन्होंने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 12ए (ए), (बी) और (सी) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 (पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम) के विनियम 3 और 4 (1) का उल्लंघन किया। इसे देखते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गएः

"'क) नोटिसकर्ता [श्री दुष्यंत नटवरलाल दलाल (पैन एएएपीडी 5859क्यू) और श्रीमती पुलोमा दुष्यंत दलाल (पैन एएईपीडी 2909बी)] इस आदेश की तारीख से 45 दिनों की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में किसी भी तरह से खरीद, बिक्री या सौदा नहीं करेंगे या प्रतिभूति मार्कर तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच नहीं करेंगे। और

ख़) नोटिस प्राप्तकर्ताओं को 4.05 करोड़ रुपये (4,05,61,579 रुपये से पूर्णांकित) के गैरकानूनी लाभ का भुगतान करना होगा।

ग) नोटिस प्राप्तकर्ताओं को 1.95 करोड़ रुपये (1,94,69,558 रुपये से पूर्णांकित) का भुगतान करना होगा, जो गैरकानूनी लाभ 4,05,61,579.रुपये पर 4 साल (2005-09) के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज होगा।

घ) नोटिस प्राप्तकर्ताओं को इस आदेश की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर 6 करोड़ रुपये (छह करोड़ रुपये) की उपरोक्त राशि का भुगतान "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" के पक्ष में तैयार किए गए क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट मुंबई में देय.के माध्यम से करना होगा।

ई) यदि उपरोक्त राशि 6 करोड़ रुपये निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो नोटिस प्राप्तकर्ताओं को प्रतिभूति बाजार में किसी भी तरह से खरीदने, बेचने या व्यवहार करने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा। सात साल की अवधि, सेबी के भुगतान को लागू करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।"

इस आदेश की एक अपील को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) द्वारा 12.11.2010 पर खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय में एस. ए. टी. के आदेश की एक अपील का 21.2.2011 पर भी यही परिणाम हुआ।

3. मांग सूचना दिनांक 25.9.2013 द्वारा रु. नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर देय ब्याज सहित 6 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, अन्यथा सेबी अधिनियम की धारा 28 ए के तहत वसूली की जानी थी। दिनांक 12.12.2013 के दूसरे मांग नोटिस द्वारा, जिसे पहले मांग नोटिस की निरंतरता में कहा गया है, 21.7.2009 से 12.12.2013 तक 13% प्रति वर्ष की दर से 2,13,30.000/- रुपये की ब्याज की मांग

की गई थी। हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं ने दिनांक 13.1.2014 को एक पत्र द्वारा उपरोक्त मांग नोटिस का उत्तर दिया, जिसमें कहा गया कि ब्याज की उक्त राशि कानून में देय नहीं थी। इसे रिकवरी ऑफिसर, सेबी द्वारा पारित दिनांक 16.1.2014 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें अपीलकर्ताओं की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था और अपीलकर्ताओं के बैंक खाते संलग्न किए गए थे। दिनांक 6.9.2016 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, एसएटी ने देखा कि अपीलकर्ता पहले ही पूर्ण प्रतिबंध अवधि से गुजर चुके थे और इसलिए, खाता संख्या 40333429 को छोड़कर, उनके डीमैट खातों पर लगाई गई कुर्की जारी कर दी गई थी। 10.3.2017 के आक्षेपित फैसले से, सैट ने अंततः पाया कि, 18.7.2013 से प्रभावी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 के साथ पठित धारा 28ए ने एसईबीएल को ब्याज एकत्र करने का अधिकार दिया, लेकिन जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध था , यह माना गया कि दिनांक 21.7.2009 के आदेश पारित करते समय अपीलकर्ताओं द्वारा देय ब्याज की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी और, इसलिए यह निर्धारित किया :

"2014 की अपील संख्या 41 में सेबी के डब्ल्यूटीएम द्वारा 21.07.2009 को दिए गए निर्देशों में 21.07.2009 तक 1.95 करोड़ रुपये की मात्रा पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4.05 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ को चुकाने का निर्देश दिया गया था। 21.07.2009 से 45 दिन, ऐसा न करने पर, अपीलकर्ताओं को भुगतान तक ब्याज सहित गैरकानूनी लाभ की वसूली के सेबी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 7 साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। चूंकि सेबी के डब्ल्यूटीएम द्वारा आदेश पारित किया गया था। 21.07.2009 में भुगतान तक 4.05 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने की बाध्यता थी, आरओ द्वारा 21.07.2009 से भुगतान तक 4.05 करोड़

रुपये के गैरकानूनी लाभ पर ब्याज की मांग करना उचित था। तदनुसार 2014 की अपील संख्या 41 खारिज की जाती है।"

4. जहां तक दंड आदेश का सवाल है, तथ्य समान हैं। सेबी बनाम अशोक पंचारिया में, सी.ए. 10410 /2017, दिनांक 13.11.2009 को रूपये की शास्ति आदेश पारित किया गया। सेबी अधिनियम की धारा 15HA के तहत 25 लाख, जो उक्त आदेश की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर देय था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पाया गया था कि उत्तरदाताओं द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गलत और भ्रामक खुलासे किए गए थे, जिससे निवेशक संबंधित समय पर महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह गए थे। यह एक अनुचित व्यापार व्यवहार था जिसके लिए उत्तरदाताओं को उत्तरदायी ठहराया गया था, क्योंकि पीएफयूटीपी विनियमों के विनियम 3(ए) से 3(डी), 4(1) और 4(2)(ए) का उत्तरदाताओं द्वारा उल्लंघन किया गया था। उपरोक्त आदेश के खिलाफ एक अपील की गई थी, जिसे SAT ने 6.5.2010 को खारिज कर दिया था। दिनांक 30.5.2014 के वसूली प्रमाण पत्र द्वारा, उपरोक्त राशि रु. सेबी अधिनियम की धारा 28ए के तहत ब्याज सहित 25 लाख रुपये की मांग की गई थी। दिनांक 3.6.2014 को राशि रू. उत्तरदाताओं द्वारा सेबी के पास डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 25 लाख रुपये जमा किए गए थे। कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.7.2014 के आधार पर कार्रवाई करते हुए, वसूली अधिकारी, सेबी द्वारा 19.8.2014 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें उत्तरदाताओं को 13.11.2009 से 3.6.2014 तक की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, राशि रु. 13,66,849/-पर ।

5. वसूली अधिकारी के आदेश के खिलाफ एस. ए. टी. को एक अपील में, एस. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि ब्याज का भुगतान 18.7.2013 (यानी अध्यादेश के माध्यम से धारा 28ए को लागू करने की तारीख) पर और उससे देय था, लेकिन यह

अभिनिर्धारित किया कि चूंकि ब्याज प्रदान करना प्रक्रियात्मक कानून के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए उपरोक्त प्रावधान को पूर्वव्यापी नहीं माना जा सकता है, और इसलिए, इस तारीख से पहले की ब्याज मांगों को अलग कर दिया गया था। यह आदेश के इस हिस्से के खिलाफ है जिसके खिलाफ सेबी ने अपील की है।

6. 2017 के सी.ए. 5677 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुब्रमण्यम प्रसाद ने हमारे सामने तर्क दिया है कि, उनके तथ्यों पर, यह स्पष्ट था कि दिनांक 21.7.2009 के आदेश में, वर्ष 2005 से 2009 के लिए ब्याज प्रदान किया गया था। स्पष्ट रूप से कोई भविष्य का ब्याज नहीं दिया गया और यह जानबूझकर किया गया था, क्योंकि आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर 6 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 7 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। इतना गंभीर था कि जानबूझकर भविष्य में ब्याज देना आवश्यक नहीं समझा गया। उन्होंने सेबी के उसी पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित कुछ अन्य आदेशों की ओर हमारा ध्यान दिलाया, जिनमें समान परिस्थितियों में भविष्य में ब्याज का भी प्रावधान किया गया था। उन्होंने बताया कि एसएटी द्वारा पारित दिनांक 6.12.2013 के एक आदेश द्वारा, अपीलकर्ताओं को अपने शेयर बेचने की अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वे 6.1.2014 को 6 करोड़ रुपये का भुगतान करने में सक्षम थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनके मामले को एसएटी द्वारा दंड के मामलों से अलग नहीं किया जाना चाहिए था और इन मामलों में अन्य व्यक्तियों के साथ, उन्हें 18.7.2013 से केवल अवैतनिक राशि पर ब्याज का भुगतान करना चाहिए था, न कि अन्यथा। कानून पर, श्री प्रसाद ने तर्क दिया कि इक्विटी लिखित कानून को ओवरराइड नहीं कर सकती है, बल्कि केवल इसे पूरक कर सकती है और उन्होंने रघुनाथ राय बर्कजा और अन्य बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य, (2007) 2 एससीसी 230 एट 241-242, पैराग्राफ 29-33 का हवाला दिया। उन्होंने इस

सिद्धांत पर भी भरोसा किया कि एक निष्पादन न्यायालय किसी डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है या उसमें कुछ जोड़ नहीं सकता है और चूंकि उनके मामले में भविष्य के हित के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए एसएटी ने 21.7.2009 के आदेश के पीछे जाने में गलती की थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कैसस ओमिसस को न्यायालयों द्वारा नहीं, बल्कि केवल विधानमंडल द्वारा भरा जा सकता है।

7. दूसरी ओर, श्री अरविंद दातार ने तर्क दिया कि दिनांकित 21.7.2009 आदेश में, 7 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध SEBI के विघटन को लागू करने के अधिकार के लिए पूर्वाग्रह के बिना था, जिसमें अनिवार्य रूप से भविष्य का ब्याज शामिल होगा। उन्होंने कहा कि धारा 28ए प्रक्रियात्मक कानून के दायरे से संबंधित है, और जब धारा 28ए के कारण आयकर अधिनियम की धारा 220 (2) आकर्षित हो जाती है, तो प्रक्रियात्मक कानून के दायरे से संबंधित ऐसा ब्याज अनिवार्य रूप से देय होगा। अन्यथा भी, विद्वान वकील के अनुसार, इक्विटी में ब्याज देय है। विच्छेदन राशि और निर्धारित समय के भीतर दंड राशि का भुगतान नहीं किए जाने के बड़े सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, ब्याज निश्चित रूप से संलग्न होगा क्योंकि सार्वजनिक हित की मांग है कि ऐसी राशि सरकारी खजाने को देय की जाए। उन्होंने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15. जे. ए. का उल्लेख किया, जो यह स्पष्ट करती है कि एस. ई. बी. आई. द्वारा दंड के रूप में प्राप्त सभी राशियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाना है और इसलिए, सार्वजनिक धन होगा जिसका उपयोग सरकार द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने यह दिखाने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया कि भले ही एस. ई. बी. आई. अधिनियम में कोई प्रत्यक्ष वैधानिक प्रावधान नहीं है जो एस. ई. बी. आई. को पिछली अवधि के लिए ब्याज लेने में सक्षम बनाता है, फिर भी इक्विटी में ब्याज दिया जा सकता है। उन्होंने क्षतिपूर्ति के कानून पर विभिन्न प्राधिकरणों का भी उल्लेख

किया, यह प्रस्तुत करने के लिए कि इस कानून के तहत ब्याज देय है क्योंकि प्रतिवादी को अन्यायपूर्ण रूप से लाभ मिला है, जिसका प्रतिवादी हकदार नहीं है, और इसलिए, इस अन्यायपूर्ण लाभ के उपयोग के लिए ब्याज के रूप में भुगतान करना चाहिए।

8. दोनों पक्षों की ओर से विद्वानों की सलाह सुनने के बाद, सबसे पहले धारा 28ए की उत्पत्ति को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है। उक्त धारा को पहली बार 18.7.2013 दिनांकित एक अध्यादेश द्वारा जोड़ा गया था। जैसा कि तब था, धारा 28ए ने आयकर अधिनियम की धारा 220 का उल्लेख नहीं किया, बल्कि केवल उक्त अधिनियम की दूसरी और तीसरी अनुसूची के साथ धारा 221 से लेकर 227,228ए और 229,231 और 232 का उल्लेख किया। चूंकि यह अध्यादेश समाप्त हो गया था, इसलिए उसी प्रावधान को फिर से लागू करते हुए 16.9.2013 पर एक दूसरा अध्यादेश जारी किया गया था। दूसरा अध्यादेश भी समाप्त हो गया और उसी धारा के साथ एक तीसरा अध्यादेश जारी किया गया।

9. हालाँकि, जिस विधेयक के कारण सेबीअधिनियम में संशोधन हुआ और जिसमें धारा 28ए जोड़ी गई, उसमें अंततः आयकर अधिनियम की धारा 220 भी शामिल की गई।

10. अंततः, धारा 28ए को प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम 2014 द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसके द्वारा इस धारा को पहले अध्यादेश की तारीख से प्रभावी किया गया था।

धारा 28ए इस प्रकार हैः

"28A. राशियों की वसूली।

(i) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है या धन की वापसी के

लिए बोर्ड के किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है या धारा 11 बी के तहत जारी किए गए निराकरण आदेश के निर्देश का पालन करने में विफल रहता है या बोर्ड को देय किसी भी शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वसूली अधिकारी अपने हस्ताक्षर के तहत निर्दिष्ट प्रपत्र में एक विवरण तैयार कर सकता है जिसमें व्यक्ति से देय राशि निर्दिष्ट की गई हो (ऐसा विवरण इस अध्याय में इसके बाद प्रमाण पत्र के रूप में संदर्भित किया गया है) और ऐसे व्यक्ति से निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि की वसूली करने के लिए आगे बढ़ेगा, अर्थात्ः

(क) व्यक्ति की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री;

(ख) व्यक्ति के बैंक खातों की कुर्की;

(ग) व्यक्ति की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री;

(घ) व्यक्ति की गिरफ्तारी और जेल में उसकी नजरबंदी;

(ई) व्यक्ति की चल और अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर नियुक्त करना, और इस उद्देश्य के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 से 227, 228ए, 229, 232, दूसरी और तीसरी अनुसूची के प्रावधान (43/1961) और आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962, समय-समय पर लागू, जहां तक संभव हो, आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होते हैं जैसे कि उक्त प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम प्रावधान थे इस अधिनियम का और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर के बजाय इस अधिनियम के तहत देय राशि का उल्लेख किया गया है।

स्पष्टीकरण 1- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, बैंक खातों में रखी गई व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति या धन में ऐसी कोई संपत्ति या धन शामिल होगा जो बैंक खातों में उस तारीख को या उसके बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किया गया है जब प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि देय हो गई थी, उस व्यक्ति द्वारा अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या बेटे की पत्नी या बेटे के नाबालिग बच्चे को, पर्याप्त प्रतिफल के अलावा, और जो उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के पास है या उसके नाम पर है और जहां तक उसके नाबालिग बच्चे या उसके बेटे के नाबालिग बच्चे को इस तरह से हस्तांतरित बैंक खातों में रखी गई चल या अचल संपत्ति या धन का संबंध है, वह उस तारीख के बाद भी हस्तांतरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2-आय-कर अधिनियम, 1961 (43/1961) और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाही) नियम, 1962 की दूसरी और तीसरी अनुसूचियों के प्रावधानों के तहत निर्धारिती के लिए किसी भी संदर्भ को प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्ति के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 3-आयकर अधिनियम, 1961 (43/1961) के अध्याय XVIID और दूसरी अनुसूची में अपील के लिए किसी भी संदर्भ का अर्थ इस अधिनियम की धारा 15T के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने के लिए एक संदर्भ के रूप में किया जाएगा।

(2)वसूली अधिकारी को उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय जिला प्रशासन की सहायता लेने का अधिकार होगा।

(3) तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, धारा 11 बी के तहत बोर्ड द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन न करने के अनुसरण में, उप-धारा (1) के तहत एक वसूली अधिकारी द्वारा राशि की वसूली को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी अन्य दावे पर प्राथमिकता होगी।

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए, "वसूली अधिकारी" पद का अर्थ बोर्ड का कोई भी अधिकारी है जिसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।"

11. कई निर्णयों में कहा गया है कि ब्याज मूल के क्षेत्र से संबंधित है न कि प्रक्रियात्मक कानून के क्षेत्र से। इन निर्णयों में सबसे प्रमुख जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (1994) 4 एस. सी. सी. 276-291 है, जिसमें एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित कियाः

"16. यह सर्वविदित है कि जब कोई कानून कोई कर लगाता है तो वह एक प्रभार अनुभाग जोड़कर ऐसा करता है जिसके द्वारा देयता बनाई या तय की जाती है और फिर दायित्व को प्रभावी बनाने के लिए तंत्र प्रदान करने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए, यह प्रभार अनुभाग द्वारा पहले से ही निर्धारित देयता के मूल्यांकन के लिए तंत्र प्रदान करता है, और फिर चूककर्ताओं से निपटने के लिए दंडात्मक

प्रावधानों सहित कर की वसूली और संग्रह के लिए साधन प्रदान करता है। विलंबित भुगतान आदि पर ब्याज वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। आम तौर पर देयता को निर्धारित करने वाले प्रभार अनुभाग का कड़ाई से अर्थ लगाया जाता है, लेकिन सख्त निर्माण का वह नियम उन मशीनरी प्रावधानों तक विस्तारित नहीं है जिनका अर्थ किसी अन्य क़ानून की तरह लगाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मशीनरी के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए जो क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाए और उसे विफल न करे। (व्हिटनी बनाम आई. आर. सी. (1926 एसी 37:42 टी. एल. आर. 58), सी. आई. टी. वी. देखें। महलिराम रामजिदास (1940) 8 आई. टी. आर. 442: ए. आई. आर. 1940 पी. सी. 124:67 आई. ए. 239], इंडिया यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड बनाम अतिरिक्त लाभ कर आयुक्त, बॉम्बे (1955) आई. एस. सी. आर. 810: ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 79: (1955) 27! टी. आर. 20] और गुरसाहई सहगल बनाम सी. आई. टी., पंजाब (1963) 3 एस. सी. आर. 893: ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1062: (1963) 48 आई. टी. आर. I)। लेकिन यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि जिस प्रावधान के द्वारा प्राधिकरण को ब्याज लगाने और एकत्र करने का अधिकार है, भले ही उसे मशीनरी प्रावधानों का हिस्सा माना जाए, वह इस सरल कारण से मूल कानून है कि अनुबंध या उपयोग के अभाव में ब्याज कानून के तहत लगाया जा सकता है और इसे राशि को गलत तरीके से रखने के लिए नुकसान के रूप में वसूल नहीं किया जा सकता है। (बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी लिमिटेड बनाम रुट्टनजी रामजी [ए.

आई. आर. 1938 पी. सी. 67:65 आई. ए. 66:67 सी. एल. जे. 153] और भारत संघ बनाम ए. एल. देखें। रल्लिया राम [(1964) 3 एससीआर 164। 185-90: AIR 1963 SC 1685])। लेकिन श्री सेन ने दो मामलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन मामलों में भी सी. आई. टी. बनाम एम. चंद्र शेखर [(1985) । एस. सी. सी. 283:1985 एस. सी. सी. (कर) 85: (1985) 151 आई. टी. आर. 433] और सेंटमल प्रांत मैंगनीज अयस्क कंपनी लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. [(1986) 3 एस. सी. सी. 461:1986 एस. सी. सी. (कर) 601: (1986) 160 टी. आर. 961], न्यायालय ने केवल इतना ही बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि विलंब के कारण राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ब्याज वसूलने का प्रावधान किया गया था। लेकिन तब एक वैधानिक प्रावधान के आधार पर ब्याज लिया जाता था, हो सकता है कि इसका उद्देश्य कर के भुगतान में देरी के लिए राजस्व की भरपाई करना हो। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि किस कारण ने विधानमंडल को ब्याज वसूलने का प्रावधान करने के लिए प्रेरित किया, न्यायालय को इसका वह अर्थ देना चाहिए जो उपयोग की गई भाषा और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से व्यक्त किया जाता है। इसलिए, कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूलने या वसूलने के लिए कानून में किए गए किसी भी प्रावधान को एक मूल कानून के रूप में माना जाना चाहिए, न कि विशेषण कानून के रूप में। कानूनों की व्याख्या के सामान्य नियम को इस तरह से समझते हुए और लागू करते हुए, जैसा कि हमने पहले और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी मामले [(1981) 4 एस. सी. सी. 578:1982

एस. सी. सी. (कर) 3: (1981) 48 एस. टी. सी. 466] में न्यायमूर्ति भगवती द्वारा बताया गया है, कि यदि राजस्व के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह संघर्ष की ओर ले जाता है और कुछ विसंगतियां पैदा करता है जो विधानमंडल द्वारा कभी नहीं की जा सकती थीं।"

12. इस फैसले का बार-बार पालन किया गया है और कई फैसलों में कानून को दोहराया गया है। हमें केवल एक ऐसे निर्णय का उल्लेख करने की आवश्यकता है, जो कि इंडिया कार्बन लिमिटेड बनाम असम राज्य, (1997) 6 एस. सी. सी. 479 है।

13. हमें पूर्वांचल कैलीज़ एंड कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, (2012) 7 एससीसी 462 एट 484 का भी हवाला दिया गया था, जहां इस न्यायालय ने छोटे पैमाने और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993 से निपटा था , निम्नलिखितनुसार:-

"51. इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम एक ठोस कानून है क्योंकि आपूर्तिकर्ता के पक्ष में भुगतान में देरी के मामले में उच्च ब्याज दर के हकदार होने के निहित अधिकार हैं और खरीदार पर एक संबंधित दायित्व लगाया जाता है। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि कोई भी मूल कानून संभावित रूप से तब तक काम करेगा जब तक कि पूर्वव्यापी संचालन को क़ानून की भाषा में स्पष्ट रूप से नहीं बनाया जाता है। केवल एक प्रक्रियात्मक या घोषणात्मक कानून पूर्वव्यापी रूप से काम करता है क्योंकि प्रक्रिया में कोई निहित अधिकार नहीं है।

52. अधिनियम के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग के किसी भी स्पष्ट विधायी इरादे के अभाव में, और इस तथ्य के आधार पर कि अधिनियम खरीदार के खिलाफ उच्च ब्याज दर का एक नया दायित्व पैदा करता है, अधिनियम का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं माना जा सकता है। चूँकि अधिनियम में परिकल्पना की गई है कि आपूर्तिकर्ता को अधिनियम के संदर्भ में उच्च ब्याज दर का दावा करने का उपार्जित अधिकार है, इसलिए इसे केवल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के बाद बिक्री समझौतों के लिए उपार्जित कहा जा सकता है जो 23-9-1992 है और किसी भी समय पहले नहीं।"

14. हालाँकि, श्री अरविंद दातार ने हमारे ध्यान में कई निर्णय लाए जिनमें समानता में ब्याज दिया जा सकता है यदि तथ्य परिस्थिति ऐसी है। इन निर्णयों में से पहला है क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, (2004) 8 एस. सी. सी. 524 539 पर, जहां यह ध्यान देने के बाद कि 1997 के एस. ई. बी. आई. विनियमों के विनियम 44 को सितंबर 2002 से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया गया था ताकि ब्याज वैधानिक रूप से लिया जा सके, इस न्यायालय ने कहा कि ब्याज निम्नानुसार न्यायसंगत विचारों पर दिया जा सकता हैः

"30. ब्याज एक समझौते या वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में दिया जा सकता है। इसे उपयोग या व्यापार के कारण कानून के बल पर या न्यायसंगत विचारों पर भी सम्मानित किया जा सकता है। ब्याज को नुकसान के रूप में नहीं दिया जा सकता है, सिवाय उन मामलों के जहां देय धन को गलत तरीके से रोक दिया गया है और इसलिए न्यायसंगत आधार हैं, जिनके लिए एक लिखित मांग अनिवार्य है।"

15. उन्होंने हमें एक रेल दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के संदर्भ में ताहजथे पुरयिल सराबी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2009) 7 एस. सी. सी. 372 पर 380-381 का भी उल्लेख किया। न्यायालय ने देखा कि रेलवे अधिनियम ब्याज लगाने के लिए कोई ठोस शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन यह कहा कि ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 3 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 में निहित सिद्धांतों पर ब्याज दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहाः

> "30. जैसा कि हमने पहले संकेत दिया है, जब किसी भी देय राशि पर ब्याज देने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, तो अदालत और यहां तक कि न्यायाधिकरणों को ब्याज अधिनियम की धारा 3 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के प्रावधानों के तहत अपने विवेक से ब्याज देने का हकदार माना गया है।"
>
> XXXX XXXX XXXX XXXX
>
> 35. हालांकि, उपरोक्त दोनों मामले मध्यस्थता अधिनियम के तहत दिए गए पुरस्कारों के संबंध में थे, एक सिद्धांत स्पष्ट किया गया है कि जहां मामलों में धन पुरस्कार दिया जाता है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 और ब्याज अधिनियम की धारा 3 के सिद्धांतों को पुरस्कार की तारीख से ब्याज देने के लिए लागू किया जा सकता है।
>
> श्री दातार ने फिर फेरो अलॉयज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और एक अन्य, (1993) पूरक (4) एस. सी. सी. 136 को 178-181, पैराग्राफ 128-133 पर संदर्भित किया, जहां उनके अनुसार, न्यायालय ने इक्विटी में देय ब्याज को कानून के सिद्धांत

के रूप में बरकरार रखा, हालांकि उस मामले के तथ्यों पर, इक्विटी को आकर्षित नहीं किया गया था ताकि बिजली बोर्ड प्रतिभूति जमा पर ब्याज वसूल कर सकें। उन्होंने एन. टी. पी. सी. लिमिटेड बनाम एम. पी. एस. ई. बी. (2011) 15 एस. सी. सी. 580 पर भी भरोसा करने की मांग की, जिसमें ब्याज केवल न्यायसंगत आधारों पर नहीं दिया गया था, क्योंकि तथ्यों पर, यह माना गया था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि एन. टी. पी. सी. ने अनुचित तरीके से अतिरिक्त राशि रखी थी, ताकि इन राशियों पर ब्याज के लिए बिजली बोर्डों के दावे को उचित ठहराया जा सके। श्री दातार ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ एमपी और अन्य, (2003) 8 एससीसी 648, इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (2011) 8 एससीसी 161 और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम टाटा केमिकल्स लिमिटेड का भी हवाला दिया। (2014) 6 350 पर एस. सी. सी. 335, पैराग्राफ 38-39 उनके इस कथन को पुष्ट करने के लिए कि ब्याज हमेशा न्यायसंगत विचारों पर दिया जा सकता है।"

16. हमारा विचार है कि ब्याज अधिनियम, 1978 की जांच से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होगा कि कार्रवाई के कारणों के लिए ब्याज उस तारीख से इक्विटी में दिया जा सकता है जिस दिन ऐसी कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था और कार्यवाही शुरू होने की तारीख तक।

17. पुराने ब्याज अधिनियम, 1839 की धारा 1 इस प्रकार हैः -

"ब्याज की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति- अतः एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है कि किसी निश्चित समय या अन्यथा देय सभी ऋणों या राशियों पर, वह न्यायालय जिसके समक्ष ऐसे ऋण या राशियों की वसूली की जा सकती है, यदि वह उचित समझे, तो लेनदार को उस समय से ब्याज की वर्तमान दर से अधिक दर पर ब्याज की अनुमति दे सकता है जब ऐसे ऋण या राशियां देय थीं, यदि ऐसे ऋण या राशियां किसी निश्चित समय पर किसी लिखित लिखत के आधार पर देय थीं या यदि अन्यथा देय थीं, तो उस समय से जब भुगतान की मांग लिखित रूप में की गई होगी, ताकि ऐसी मांग देनदार को नोटिस दे कि ऐसी मांग की तारीख से भुगतान के समय तक ब्याज का दावा किया जाएगाः बशर्ते कि उन सभी मामलों में ब्याज देय होगा जिनमें वह अब भुगतान किया जा रहा है।"

18. बंगाल नागुर रेलवे कंपनी लिमिटेड बनाम रुट्टनजी रामजी और अन्य में प्रिवी काउंसिल के निर्णय, ए. आई. आर. 1938 पी. सी. 67 पर 70, ने धारा 1 परंतुक का उल्लेख करते हुए कहाः

"ब्याज अधिनियम में हालांकि एक प्रावधान है कि "ब्याज उन सभी मामलों में देय होगा जिनमें यह अब कानून द्वारा देय है।" यह परंतुक उन मामलों पर लागू होता है जिनमें इक्विटी न्यायालय ब्याज की अनुमति देने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। जैसा कि मेन में लॉर्ड टॉमलिन और न्यू ब्रंसविक इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी बनाम हार्ट (1929 एसी 631) ने देखाः

"समानता के नियम को लागू करने के लिए, पहली बार में ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व को स्थापित करना आवश्यक है जो न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र को आकर्षित

करती हैं, उदाहरण के लिए, एक अनुबंध का गैर-प्रदर्शन जिसका इक्विटी विशिष्ट प्रदर्शन दे सकता है। "

19. कानून के इस दृष्टिकोण का तब से कई निर्णयों में पालन किया गया है। सतिंदर सिंह बनाम अमराव सिंह, (1961) 3 एस. सी. आर. 676 में 697 पर, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> "न्यायसंगत आधार पर या कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत ब्याज देने की शक्ति धारा 1 के परंतुक द्वारा स्पष्ट रूप से सहेजी गई है। इस प्रश्न पर प्रिवी काउंसिल इन बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी लिमिटेड वी. रुट्टनजी रामजी [65 आई. ए. 66 एससीः ए. आई. आर. 1938 पी. सी. 67] द्वारा विचार किया गया था। अधिनियम की धारा 1 के प्रावधान का उल्लेख करते हुए प्रिवी काउंसिल ने कहा कि "यह प्रावधान उन मामलों पर लागू होता है जिनमें कोर्ट ऑफ इक्विटी ब्याज की अनुमति देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।"

20. हीराचंद कोठारी बनाम राजस्थान राज्य, 1985 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 17 25-26 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

"अमराव सिंह मामले [ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 908: (1961) 3 एस. सी. आर. 676: (1961) 2 एस. सी. जे. 372] में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को ब्याज अधिनियम, 1839 की धारा 1 के प्रावधान के तहत न्यायसंगत आधार पर ब्याज देने के लिए पर्याप्त शक्ति थी।"

21. ब्याज अधिनियम, 1839 पर 63 वें विधि आयोग ने कार्रवाई के कारण की तारीख से कार्यवाही शुरू होने की तारीख तक ब्याज देने के पहलू पर बहुत विस्तार से

विचार किया। 1839 के अधिनियम की धारा 1 को प्रावधान के साथ स्थापित करने के बाद, विधि आयोग ने पैराग्राफ 4.4 ए में निम्नानुसार सिफारिश कीः

"4.4 ए. लेकिन, सामान्य तौर पर, मुकदमों के अलावा अन्य कार्यवाही धारा के बाहर होगी। हमारा विचार है कि मुकदमे के अलावा अन्य कार्यवाहियों को शामिल करने के लिए धारा का विस्तार किया जाना चाहिए। अन्य कार्यवाहियों के संबंध में ब्याज देने का विवेकाधिकार उतना ही आवश्यक है, जितना कि एक सामान्य दीवानी मुकदमे के संबंध में। हम इस उद्देश्य के लिए धारा में संशोधन की सिफारिश कर रहे हैं।"

22.धारा 1 के परंतुक की जांच करने के बाद, विधि आयोग ने पाया किः

"7.2 मोटे तौर पर, अदालतों ने धारा 1 के परंतुक पर भरोसा करते हुए निर्णय लिए गए मामलों में, जहां मामले की निष्पक्षता की आवश्यकता होती है, ब्याज दिया है। उदाहरण के लिए, जहां अचल संपत्ति खरीदी या अधिग्रहित की जाती है, और कीमत या मुआवजे (जैसा भी मामला हो) का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, वहां ब्याज देने की तैयारी है। यही स्थिति है जहाँ एक प्रत्ययी संबंध है।

7.3. उच्चतम न्यायालय ने धारा 1 के परन्तुक में आने वाले "उन सभी मामलों में ब्याज देय होगा जिनमें यह अब कानून द्वारा देय है" शब्दों के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है कि यह परन्तुक उन मामलों में लागू होता है जिनमें समता के न्यायालय ब्याज की अनुमति देने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करते हैं।

XXXX XXXX XXXX

7.5. इसी तरह के दृष्टिकोण को नागपुर के एक मामले में दर्शाया गया है, जहां यह कहा गया थाः

"हमारी राय है कि हम रखरखाव के मामलों में न्यायसंगत शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जहां एक डिक्री द्वारा आरोप लगाया गया है।"

XXXX XXXX XXXX

7.8. मामले के इस पहलू पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछ विशेष स्थितियों के लिए प्रावधान करना न्यायसंगत और उचित होगा, निश्चित रूप से, परंतुक द्वारा संरक्षित शक्ति की व्यापकता को बाधित किए बिना। तदनुसार, कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों पर नीचे विचार किया गया है।

XXXX XXXX

7.15. कुछ अन्य मामलों में इक्विटी में भी ब्याज की वसूली की जा सकती है; उदाहरण के लिए, जहां लेनदार और देनदार के बीच एक विशेष संबंध मौजूद है, जैसे कि बंधक और बंधक, बांड पर बाध्य और बाध्य, निष्पादक और लाभार्थी, मूलधन और एजेंट, मूलधन और जमानत, ट्रस्टी और न्यास, विक्रेता और खरीदार, या बकाया और वार्षिकी के मामले में। इन मामलों को विशिष्ट प्रावधानों द्वारा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 1 के परंतुक में सामान्य प्रावधान उनकी देखभाल करना जारी रखेगा।

XXX X XX XX

7.17 यह परंतुक के तहत ब्याज देने की शक्ति के रूप में सार के बिंदुओं पर विचार को समाप्त करता है। अब हम "अब कानून द्वारा देय" शब्दों से उत्पन्न एक मौखिक बिंदु से निपटते हैं। हमारा विचार है कि "अभी" शब्द को परंतुक से हटा दिया जाना चाहिए। यह शब्द भ्रमित करने वाला है, और प्रारूपण के दृष्टिकोण से, गलत है। इसलिए हम इसे हटाने की सलाह देते हैं।

हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि परंतुक के इस भाग में "अधिनियम या कानून के अन्य नियम या कानून के बल वाले उपयोग" शब्दों को "कानून" शब्द के स्थान पर रखा जाना चाहिए।"

23. संसद ने विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1978 का ब्याज अधिनियम लागू किया।

धारा 2 (ए) निम्नानुसार हैः

"खंड 2-परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

(क) न्यायालय" में एक न्यायाधिकरण और एक मध्यस्थ शामिल हैं;

इसलिए, इस अधिनियम का विस्तार न केवल दीवानी अदालतों बल्कि न्यायाधिकरणों को भी शामिल करने के लिए किया गया है।**"**

24. हम सीधे तौर पर अधिनियम की धारा 4 से संबंधित हैं जो इस प्रकार हैः -

"धारा 4-कुछ अधिनियमों के तहत देय ब्याज

(1) धारा 3 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ब्याज उन सभी मामलों में देय होगा जिनमें यह किसी अधिनियम या कानून के अन्य नियम या उपयोग के आधार पर देय है।

(2) उपरोक्त के होते हुए भी, और उप-धारा (I) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय, निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक में, नीचे निर्दिष्ट तिथि से कार्यवाही शुरू होने की तारीख तक ऐसी दर पर ब्याज की अनुमति देगा जो न्यायालय उचित समझे, जब तक कि न्यायालय का समाधान न हो कि ब्याज की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए, अर्थात्ः -

(क) जहां धन या अन्य संपत्ति को जमा करने की तारीख से कानून या अनुबंध द्वारा लगाए गए दायित्व के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा किया गया है;

(ख) जहां कार्रवाई के कारण की तारीख से किसी प्रत्ययी संबंध के आधार पर धन का भुगतान करने या किसी संपत्ति को बहाल करने का दायित्व उत्पन्न होता है;

(ग) जहां धन या अन्य संपत्ति धोखाधड़ी से प्राप्त की जाती है या रखी जाती है, कार्रवाई के कारण की तारीख से;

(घ) जहां दावा कार्रवाई के कारण की तारीख से देय राशि या रखरखाव के लिए है।

धारा 6 (1) द्वारा 1839 के ब्याज अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था।

25. भारतीय जीवन बीमा निगम और एक अन्य बनाम श्रीमती एस सिंधु, (2006) 5 एस. सी. सी. 258 मामले में इस न्यायालय ने ब्याज अधिनियम, 1978 द्वारा किए गए परिवर्तनों पर विचार करते हुए निम्नानुसार कहाः

> "15. यह मानते हुए भी कि ब्याज इक्विटी के आधार पर दिया जा सकता है, यह केवल कम की गई राशि पर दिया जा सकता है और पॉलिसी के तहत देय होने की तारीख से भुगतान किया जा सकता है (यानी बीमित व्यक्ति की मृत्यु की तारीख को) और किसी भी पिछली तारीख से नहीं। हम इस प्रश्न की जांच करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि क्या ब्याज अधिनियम, 1978 के पुराने ब्याज अधिनियम (1839 का 32) से महत्वपूर्ण विचलन को देखते हुए, न्यायसंगत आधारों पर ब्याज दिया जा सकता है। वर्तमान अधिनियम में पुराने अधिनियम की धारा 1 के परंतुक में निहित निम्नलिखित प्रावधान नहीं है "ब्याज उन सभी मामलों में देय होगा जिनमें यह अब कानून द्वारा देय है। सतिंदर सिंह बनाम अमराव सिंह [(1961) 3 एस. सी. आर. 676: ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 908] और हीराचंद कोठारी बनाम राजस्थान राज्य [1985 एस. सी. सी. 17] में इस न्यायालय के निर्णय और बंगाल नागपुर रेलवे में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के बारे में क्या कहा जा सकता है? कं. लिमिटेड बनाम रुट्टनजी रामजी [(1937-38) 65 आई. ए. 66: ए. आई. आर. 1938 पी. सी. 67] ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि ब्याज समान आधारों पर दिया जा सकता है, जो सभी पुराने ब्याज अधिनियम (1839 का अधिनियम) की धारा I के उक्त परंतुक के संदर्भ में दिए गए हैं, नए अधिनियम (1978 का अधिनियम) के प्रावधानों की व्याख्या करने के

लिए उपयोगी होंगे, एक उपयुक्त मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता हो सकती है।"

26. वर्तमान मामले में जिस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, वह यह है कि क्या धारा 4 (1) में निहित "कानून का अन्य नियम" अभिव्यक्ति न्यायालय को उस स्थिति को जारी रखने में सक्षम बनाएगी जो 1839 के अधिनियम की धारा 1 के परंतुक के तहत थी-अर्थात् क्या यह अभिव्यक्ति इक्विटी में दिए जा रहे ब्याज को समाहित करेगी।

27. हम पाते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रभावती रामगरीब बी**.** बनाम डिविजनल रेलवे मैनेजर **(2010) 4** एमएच एलजे **691** एट **702-703** मामले में विशेष रूप से इस प्रकार कहा है**:**

"35. ब्याज के लिए याचिकाकर्ता का दावा धारा 4 (1) में "या कानून के अन्य नियम" शब्दों के दायरे में आएगा। कानून का दूसरा नियम समानता के आधार पर है। ब्याज अधिनियम, 1839 के तहत भी, धारा 1 के परंतुक के तहत ब्याज देय था, जिसमें कहा गया हैः "बशर्ते कि ब्याज उन सभी मामलों में देय होगा जिनमें यह अब कानून द्वारा देय है।" ब्याज उस अधिनियम के तहत इक्विटी में कानून द्वारा देय था। इसे निर्णयों की एक श्रृंखला में मान्यता दी गई थी। उदाहरण के लिए ट्रोजन एंड कंपनी बनाम नागप्पा चेट्टियार, 1953 एस. सी. आर. 789 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 23 में कहा कि यह अच्छी तरह से तय किया गया था कि धोखाधड़ी से प्राप्त या रखे गए धन के मामले में कोर्ट ऑफ इक्विटी द्वारा ब्याज की अनुमति है। इसलिए ब्याज इक्विटी में दिया जाता था।

36. ब्याज अधिनियम, 1978 के तहत स्थिति अलग नहीं है। धारा 4 (1) में "या कानून के अन्य नियम" शब्दों में इक्विटी में देय ब्याज शामिल होगा। वास्तव में, हमारे न्यायालय द्वारा ब्याज समानता के साथ-साथ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के अनुरूप सिद्धांतों पर इस आधार पर दिया गया है कि धारा 34 न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों पर आधारित है।"

28. हम कानून के उपरोक्त कथन से सहमत हैं। अतः यह स्पष्ट है कि 1978 का ब्याज अधिनियम एस. ए. टी. जैसे न्यायाधिकरणों को उस तारीख से ब्याज देने में सक्षम बनाएगा जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था और इक्विटी में ऐसे ब्याज की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू होने की तारीख तक। वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां ब्याज इस कारण से इक्विटी में देय होगा कि एस. ई. बी. आई. द्वारा एकत्र किए गए सभी जुर्माने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15 जे. ए. के तहत समेकित निधि में जमा किए जाएंगे। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इस तरह के धन का उपयोग करने से बड़ी कोई इक्विटी नहीं है। इस तरह के धन के उपयोग से वंचित रहना, इसलिए, इक्विटी में ध्वनि होगा। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि इस तथ्य के बावजूद कि धारा 28ए प्रक्रियात्मक कानून के दायरे से संबंधित है और सामान्य रूप से पूर्वव्यापी होगी, जब यह ब्याज लगाने का प्रयास करता है, जो मूल कानून के दायरे से संबंधित है, तो न्यायाधिकरण यह कहते हुए सही है कि ऐसा ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 220 (2) के साथ पठित धारा 28ए के तहत केवल संभावित रूप से प्रभार्य होगा। हालाँकि, चूंकि इसने ब्याज अधिनियम, 1978 को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा है, इसलिए हमने न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया कि जुर्माना देय होने की तारीख से कोई ब्याज नहीं लिया जा

सकता है। जहां तक जुर्माने के मामलों का संबंध है, 2017 की सिविल अपीलों को अनुमति दी गई है।

29. हालाँकि, सिविल अपील संख्या 5677/2017 के तथ्यों पर जाते हुए, हम महसूस करते हैं कि श्री सुब्रमण्यम प्रसाद दृढ़ आधार पर हैं। उन्होंने ऐसे ही आदेशों की ओर इशारा किया है जो एस. ई. बी. आई. के एक ही पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित किए गए हैं। इस प्रकार, श्री धवल ए. मेहता बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में, उसी पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित आदेश इस प्रकार हैः

> "11... तदनुसार, एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 11, 11(4) और 11 बी के साथ पठित धारा 19 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अंतरिम आदेश के अनुसार नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा पहले से ही किए गए निषेध की अवधि को ध्यान में रखते हुए, मैं एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि नोटिस प्राप्तकर्ता, श्री धवल ए. मेहता (पैन सं. ए. एल. के. पी. एम. 26110): (ए) रुपये के उपरोक्त गैरकानूनी लाभ को समाप्त करने के लिए। इस आदेश के पारित होने के 45 दिनों के भीतर, आई. डी. एफ. सी. आई. पी. ओ. के सूचीबद्ध होने की तारीख (12 अगस्त, 2005) से वास्तविक विघटन की तारीख (12 अगस्त, 2005) तक 72 लाख रुपये और उस पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज, एस. ई. 131 के पक्ष में एक क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि भेजकर, (बी) प्रतिभूति बाजार में किसी भी तरह से खरीद, बिक्री या लेनदेन करने या इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 साल की आगे की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोका जाए। यदि राशि को निर्दिष्ट समय के भीतर अलग नहीं किया

जाता है, तो सूचना प्राप्तकर्ता को प्रतिभूति बाजार में किसी भी तरह से खरीदने, बेचने या लेनदेन करने या प्रतिभूति बाजार तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँचने से 5 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।" (जोर दिया गया)

30. इसी तरह, नेतानन्द भांबू के मामले में, 7.5.2009 दिनांकित एक आदेश द्वारा, उन्ही सज्जन ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"14 ... ख. श्री नेतानंद भांबू (पैनः ए. सी. वी. पी. बी. बी. 753 ए)। नेतनंद सूरजराम भांबू-एचयूएफ (पैनः एएडीएचएन 2778 पी), आनंद नेतनंद चौधरी-एचयूएफ (पैनः एएईएएचए 7368 एच)। सुश्री सर्वनी चौधरी (पैनः ए. सी. एस. पी. सी. 7691. पी.) और सुश्री विनीता ए. चौधरी (पैनः ए. ई. एफ. पी. सी. 1269. एफ.) अपने नामों के खिलाफ उपरोक्त पैरा 8 के तहत तालिका के कॉलम 11 में बताए गए गैरकानूनी लाभ को अलग करेंगे, जो कुल रु. 9,58,950 (केवल नौ लाख अठावन हजार नौ सौ पचास रुपये)। वे नंदन और एफ. सी. एस. के आई. पी. ओ. को सूचीबद्ध करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक इस गैरकानूनी लाभ पर 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी भुगतान करेंगे। नोटिसकर्ता इस आदेश की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर मुंबई में देय "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" के पक्ष में तैयार किए गए क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि का भुगतान करेंगे। यदि निर्दिष्ट समय के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नोटिस प्राप्तकर्ताओं को प्रतिभूति बाजार में किसी भी तरह से

खरीदने, बेचने या लेनदेन करने या प्रतिभूति बाजार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

31. 10.5.2010 पर, चंद्रकांत अमृतलाल पारेख बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में, उसी पूर्णकालिक सदस्य ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"12 क) चंद्रकांत अमृतलाल पारेख (पैनः ए. एच. एक्स. पी. पी. 5708 जे) को इस आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में किसी भी तरह से खरीदने, बेचने या लेनदेन करने या प्रतिभूति बाजार तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचने से रोका जाए; और

बी) चंद्रकांत अमृतलाल पारेख **24,29,340** रुपये (केवल चौबीस लाख उनतीस हजार तीन सौ चालीस रुपये) के गैरकानूनी लाभ को वापस ले लेंगे। उन्हें इस गैरकानूनी लाभ पर साढ़े चार साल (अक्टूबर **2005-** अप्रैल **2010,** यानी सुजलॉन के आईपीओ की लिस्टिंग की तारीख से इस आदेश तक) के लिए **6%** (छह प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान भी करना होगा। **,** राशि **6,55,922** रु. इस प्रकार उसे इस आदेश की तारीख से **45** (पैंतालीस) दिनों के भीतर **30,85,262** रुपये की कुल राशि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पक्ष में मुंबई में देय क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से चुकानी होगी। उपरोक्त राशि का भुगतान निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसे सेबी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सात साल की अगली अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में किसी भी तरह से

खरीदने, बेचने या व्यवहार करने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा जब तक कि वास्तविक भुगतान नहीं किया जाता है।" (जोर दिया गया)

32. उपरोक्त सभी आदेशों से पता चलता है कि उक्त पूर्णकालिक सदस्य भविष्य में ब्याज देने की अपनी शक्ति से पूरी तरह परिचित था, जो उसने उपरोक्त सभी मामलों में किया था। वास्तव में, अंतिम उल्लिखित मामले में, जिसके तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से बहुत मिलते-जुलते हैं, आदेश "वास्तविक भुगतान होने तक अतिरिक्त ब्याज के साथ भुगतान को लागू करने के सेबी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" पारित किया गया था। दिनांक 21.7.2009 के आदेश में उनकी अनुपस्थिति से "वास्तविक भुगतान होने तक आगे के ब्याज के साथ" शब्द स्पष्ट हैं। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि श्री सुब्रमण्यम प्रसाद अपनी बात में सही हैं। यदि रुपये के भुगतान में चूक हुई है। निर्धारित समय के भीतर 6 करोड़ रुपये जमा करने पर भविष्य में कोई ब्याज देय नहीं होगा, बल्कि 7 साल के लिए बाजार से बाहर कर दिए जाने का बहुत गंभीर जुर्माना लगाया गया था। हमने देखा है कि वास्तव में, अपीलकर्ता को उपरोक्त प्रतिबंध का सामना कैसे करना पड़ा और उसने रुपये का भुगतान कैसे किया। शेयरों की बिक्री से 6.1.2014 को 6 करोड़ रु. एसएटी का यह कहना गलत था कि दिनांक 21.7.2009 के आदेश में भुगतान तक 4.05 करोड़ रुपये के गैरकानूनी लाभ पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने की बाध्यता थी। इसलिए, हम 2017 के सीए 5677 को अनुमति देते हैं और इस अपील में एसएटी के फैसले को भी रद्द कर देते हैं।

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक हेमंत सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।